...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...ा–पत्र संख्या :–61/2021 दायर दिनांक: 01.07.2021

GCMS NO:- 2021/128

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मोहन पुत्र भोमा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामावतार पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. बदाम पुत्री भोमा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मोहनी पुत्री भोमा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. कोशल्या पुत्री भोमा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. सीताराम पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. प्रभु पुत्री भोजा जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थी–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थीगण एवं सहखातेदारान के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 773/677 रकबा 1.0922 है0 कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि खसरा संख्या 773/677 में आने जाने का रास्ता उनियारा जाने वाली कच्ची पक्की सडक जो सिवायचक भूमि खसरा संख्या 291 में बनी हुई है। इस सडक से पूर्व दिशा की ओर की खसरा संख्या 291 सिवायचक भूमि में होकर प्रार्थीगण स्वयं के खाते की भूमि खसरा संख्या 773/677 तक पहुंचते है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 291 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 291 रकबा 0.7524 में से रकबा 15 फीट • 277 फीट = 4155 वर्गफीट भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 4155 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.0386 है0 है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड ... एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन ... समीधी में पेश हुई । उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...न की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ...लदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार ... दिया जाना उचित बताया है। ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समीधी तहसील नैनवां में प्रार्थीगण ...व सहखातेदारान के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 773/677 रकबा 1.0922 है0 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 291 रकबा 0.7524 में से रकबा 15 फीट • 277 फीट = 4155 वर्गफीट भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल 4155 वर्गफीट अर्थात रकबा 0.0386 है0 है। जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)
नैनवां

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:20:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner